राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004
दूरभाष :– 0141–2711070, संस्थापन–द्वितीय :– 2256702
E-mail : drestablishment2@gmail.com

क्रमांक : संस्था.–2 / 2023 / 2523 दिनांक : 18/05/23

कार्यालय आदेश

शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ.17(10)डीओपी / ए–II / 94 जयपुर दिनांक 08 फरवरी 2018 के क्रम में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11–05–2023 की अनुपालना में, विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्ति के पश्चात् अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवायें संविदा के आधार पर लिये जाने पर देय समेकित पारिश्रमिक की राशि में **परिशिष्ठ–क** के अनुसार दिनांक 01–04–2023 से निम्नानुसार सशर्त बढ़ोतरी की जाती हैं :–

क्र.सं.	पे–लेवल	परिपत्र दिनांक 08–02–2018 के आधार पर समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)	दिनांक 01–04–2023 से समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
1.	L-1	6400	12200
2.	L-2	6500	12400
3.	L-3	7000	12600
4.	L-4	7400	13200
5.	L-5	9100	14400
6.	L-6	9100	14800
7.	L-7	9100	15500
8.	L-8	10400	18100
9.	L-9	10400	19800
10.	L-10	12000	23300
11.	L-11	13400	26100
12.	L-12	17400	30600
13.	L-13	19500	36600
14.	L-14	19500	38700
15.	L-15	21000	41900
16.	L-16	21900	46400
17.	L-17	23200	49000
18.	L-18	24600	52000
19.	L-19	25400	55100
20.	L-20	29000	61300
21.	L-21	40100	84900
22.	L-22	42300	89500
23.	L-23	46600	101300
24.	L-24	47600	102700

नमित 18/5/2

नोट :–

1. नियमित नियुक्ति की दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत् 03 (तीन) ए.सी.पी. देय होती हैं। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है, तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिए ग्रेड–पे/पे–लेवल से ए.सी.पी. योजना के तहत् स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे/पे–लेवल के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।
2. उपरोक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिक को भी देय होगा।
3. सेवानिवृत्त कार्मिकों के दिनांक 01–04–2023 से संशोधित समेकित पारिश्रमिक के आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

<u>शर्ते :–</u>

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवायें केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरूद्ध ही ली जा सकेगी जो स्पष्ट रूप से रिक्त है। इस हेतु प्रशासनिक स्वीकृति ली जानी आवश्यक होगी।
2. किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्त्ता होगा। परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवायें निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की सम्भावनाओं को प्रतिकुल रूप से प्रभावित न करने के अध्याधीन ली जा सकेगी।
3. केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जिन्होनें 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है की समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर सेवायें लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हे किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत्त हुआ है उसी ही कैडर में रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होगें।
5. सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझें।
6. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस के वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होगें। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

नीलिमा 18/5/2

7. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

8. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व क अध्यधीन होगा।

9. **समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी सम्भालने/रोकड़बही को लिखने और रोकडिया के रूप में कृत्य करने से सम्बन्धित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेगें।**

10. इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से 01 वर्ष हेतु समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किये जाने एवं तत्पश्चात् आगे 01 वर्ष की अभिवृद्धि किये जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और वृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो तो कार्मिक के सम्बन्ध में विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(नीलिमा तक्षक)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–2/2023/2524-2623 **दिनांक :** 18/05/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक/अशैक्षणिक/इकाई प्रभारी, राज.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, राज.वि.वि., जयपुर।
3. समस्त निदेशक, केन्द्र/केन्द्रीय पुस्तकालय, राज.वि.वि., जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राज.वि.वि., जयपुर।
5. विश्वविद्यालय अभियन्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय प्रेस, राज.वि.वि., जयपुर।
6. परीक्षा नियन्त्रक, राज.वि.वि., जयपुर।
7. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, राज.वि.वि., जयपुर।
9. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त कार्यालय आदेश विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।

Shruti 18/05/2023

(श्रुति शेखावत)
उप कुलसचिव (संस्था.–2)